

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

1. पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सार्वजनिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसकी स्थापना संसद द्वारा 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' (2006 में संशोधित) द्वारा वर्ष 1993 में हुई।
- आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। मानवाधिकारों के अंतर्गत शामिल है किसी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का अधिकार जिसकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है और जो न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।
- यह आयोग मानवाधिकार के किसी उल्लंघन अथवा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लोक सेवक द्वारा लापरवाही पर स्वतः संज्ञान लेते हुए या उसे प्रस्तुत याचिका पर या न्यायालय के आदेश पर जाँच की कार्यवाही करता है।

2. संगठन

- एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं।
- इसके अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं जबकि बतौर सदस्य निम्नांकित व्यक्ति नियुक्त होते हैं:
 - सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
 - किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
 - मानवाधिकार के संदर्भ में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो सम्मानित व्यक्ति।
- इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त 4 पदेन सदस्य भी होते हैं- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष।

3. नियुक्ति और सदस्य

- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, इस समिति के 6 सदस्य हैं:
 - समिति अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री।
 - लोकसभा अध्यक्ष।
 - केंद्रीय गृह मंत्री।
 - राज्यसभा के उपसभापति।
 - संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता।

4. कार्यकाल

- अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 70 वर्ष की आयु (इनमें से जो पहले पूरी हो जाए) तक पद धारण करते हैं।
- कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष या सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत कहीं और नियुक्त नहीं होंगे।

5. आयोग की सीमा

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारशी प्रवृत्ति का है और संबद्ध सरकार या प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है।
- इसके पास मानवाधिकार उल्लंघन के दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही अथवा पीड़ित को कोई मुआवजा (आर्थिक या अन्य) देने की शक्ति नहीं है। निजी पक्षों और सरासरी बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में इसकी भूमिका, शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र बेहद सीमित हैं।
- इस अधिनियम के प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते।
- यह मानवाधिकार उल्लंघन के वैसे मामले पर जाँच में समर्थ नहीं है जिसकी शिकायत घटना के एक वर्ष बीतने के बाद की गई हो।
- प्रवर्तन से संबंधित समस्याओं के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर्मचारियों की कमी, अपर्याप्त वित्तपोषण, शिकायतों की अत्यधिक संख्या और कार्यकालापी की अक्षमताओं की समस्या से भी जूझ रहा है।

6. प्रमुख बिंदु

- आयोग की भूमिका भले ही सिफारशी और सलाहकारी प्रवृत्ति की हो लेकिन सरकार इसकी सिफारिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
- इसके अलावा अगर उसकी सिफारिशों को सीधे नजरअंदाज किया जाता है तो आयोग उपयुक्त दिशा-निर्देश के लिये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है।
- मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जाँच के लिये इसके पास जाँच अधिकारियों का अपना केंद्र है।
- हिरासत में न्याय, कारागार सुधार, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी, भूख से मौत आदि विषयों पर मानवाधिकार आयोग के सुझाव को सरकार ने स्वीकार भी किया है और इनसे मानवाधिकार की उन्नति में मदद मिली है।

7. आगे की दिशा

- मानवाधिकार से संबंधित समस्याओं को केवल आयोग पर न छोड़कर जनता को सार्वजनिक रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन करने की भी आवश्यकता है।
- इसके दायरे में पर्याप्त विस्तार की आवश्यकता है ताकि यह पूरे देश में सभी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर विचार कर सके।
- वैधानिक सीमितता के बावजूद इस बात में कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के प्रहरी के रूप में प्रभावी भूमिका निभाता रहा है और निभा सकता है।